न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 71/2025

उनवान

धन्ना पुत्र मंगला जाति रावत निवासी ग्राम मजरा बाडिया, टंटिया, नसीराबाद
—— वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. गोमी पत्नि भैरू,
2. धनराज पुत्र हनुमान,
3. हरदेव पुत्र हनुमान,
4. मंगली पत्नि हनुमान,
5. नाथी पत्नि हजारी,
6. लक्ष्मणसिंह पुत्र गोपाल,
7. सूरजसिंह पुत्र गोपाल,
8. सुरेशसिंह पुत्र गोपाल,
9. संतरा पत्नि गोपाल,
10. सोनम पुत्री गोपाल जातिगण रावत निवासी मजरा बाडिया टंटिया श्रीनगर नसीराबाद,
11. उप पंजीयन अधिकारी नसीराबाद
12. राजस्थान सरकार, जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :—1 से 10 अनुपस्थित, 11 व 12 जरिये राज0 पैरोकार

13. भंवरा पुत्र मंगला,
14. मोहन पुत्र मंगला,
15. सोहन पुत्र मंगला,
16. महेन्द्र पुत्र पन्ना,
17. कालू पुत्र पन्ना जातिगण रावत निवासी मजरा बाडिया टंटिया श्रीनगर नसीराबाद अजमेंर

—— प्रफोर्मा प्रतिवादीगण :— 13 से 15 अनुपस्थित
16 व 17 जरियें अधिवक्ता श्री रणजीत रावत

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 9/7/25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम श्रीगनर के वंर्किग खसरा नम्बर 745 रकबा 6–0–0 के हाल खसरा [illegible] 31 रकबा 0.97 की आराजी वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 01.03.20[illegible] को जरियें पंजीबद्ध विक्रय पत्र तत्कालीन खातेदार गोमी, हनुमान, गोपाल [illegible] दिनांक से आराजी मुतनाजा पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। [illegible] की मृत्यु हो गयी [illegible] के वारिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:36:00 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

महेन्द्र, कालू प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 16 व 17 है तथा केता भंवरा, मोहन, सोहन, प्रतिवादी संख्या 13 से 15 है। धन्ना वादी है। विक्रेता गोपाल व हनुमान की मृत्यु हो गयी है जिनके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 10 है। आराजी मुतनाजा पूर्व राजस्व अभिलेख में केतागण के नाम नामान्तकरण संख्या 365 से खातेदारी दर्ज की गयी। हाल खसरा नम्बर 1031 रकबा 0.97 गलत व त्रुटिपूर्ण तरीके से वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के नाम अंकित कर दी। जिस कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 10व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 13 से 17 प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण में कोई खण्डन नही होने के कारण तनकियात कायम नही की गयी :–

अधिवक्ता वादीने राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र पेश किये तथा प्रकरण में साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। वाद पत्र में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार ग्राम श्रीगनर के वंर्किग खसरा नम्बर 745 रकबा 6–0–0 के हाल खसरा नम्बर 1031 रकबा 0.97 की आराजी वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 31.03.2000 को जरियें पंजीबद्व विक्रय पत्र तत्कालीन खातेदार गोमी, हनुमान, गोपाल व हजारी से क्रय की थी। क्रय दिनांक से आराजी मुतनाजा पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वंर्किग जमाबंदी में उक्त आराजी विक्रेता/पूर्वज के नाम खातेदारी अंकित है। आराजी मुतनाजा पूर्व राजस्व अभिलेख में केतागण के नाम नामान्तकरण संख्या 365 से खातेदारी दर्ज की गयी। केता पन्ना की मृत्यु हो गयी हे जिसके वारिस महेन्द्र, कालू प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 16 व 17 है तथा केता भंवरा, मोहन, सोहन, प्रतिवादी संख्या 13 से 15 है। धन्ना वादी है। विक्रेता गोपाल व हनुमान की मृत्यु हो गयी है जिनके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 10 है। हाल खसरा नम्बर 1031 रकबा 0.97 गलत व त्रुटिपूर्ण तरीके से वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के नाम अंकित कर दी। विक्रेतागण द्वारा भूमि का बैचान प्रतिफल राशि प्राप्त कर वादीगण/पूर्वज को कर दिया है। उक्त बैचान पंजीबद्व विक्रय पत्र से होने से उसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। प्रतिवादीगण द्वारा आज दिवस तक विक्रय पत्र के विरूद्व कोई चाराजोही नही की है। प्रतिवादीगण ने वाद के खण्डन में कोई जवाब साक्ष्य व दस्तावेज भी पेश नही किये है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से उसके कथनों की ताईद होती है। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा प्रतिवादी संख्या 1 से 10 की खातेदारी में दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के प्रावधान अनुसार विक्रेता के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है। आराजी मुतनाजा वादीगण की विधिक क्रयशुदा है। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज0 पैरोकार द्वारा भी वाद का खण्डन नही किया गया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से वाद के कथनों की पुष्टि होती है। वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। तनकी बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

अतः ग्राम श्रीगनर के वंर्किग खसरा नम्बर 745 रकबा 6–0–0 के हाल खसरा नम्बर 1031 रकबा 0.97 की आराजी पर वादी का दावा स्वीकार किया जाता है। उक्त आराजी पर वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 13 से 17 को खातेदार घोषित किया जाता है।

—3

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:36:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
नसीराबाद (अजमेर)

तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:36:00 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

धन्ना बनाम गोमी

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 71/2025
पेश करने की दिनांक – 17.04.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई व रणजीत रावत राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम श्रीगनर के वंर्किग खसरा नम्बर 745 रकबा 6–0–0 के हाल खसरा नम्बर 1031 रकबा 0.97 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 13 से 17 को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 29 माह 7 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:36:00 IST
Reason: SelfAttested